संख्या-3/2016/386/क.नि.प्र./26-3-2016-18(64)98

प्रेषक,

दीनानाथ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
समाज कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, लखनऊ: दिनांक: 06 अप्रैल,2016
समाज कल्याण विभाग

विषय:- सचिवालय स्तर पर गठित कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ में कार्यरत कर्मचारियों के अधिष्ठान व्यय हेतु वेतन,भत्तों आदि की स्वीकृति वर्ष 2016-17

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या–1/2016/बी-1/746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 के क्रम में शासन स्तर पर गठित कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ के कर्मचारियों के अधिष्ठान पर होने वाले व्यय को वहन करने के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 65.13 लाख (रू0 पैंसठ लाख तेरह हजार मात्र) को निम्नलिखित मदों में व्यय किए जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

मद	धनराशि(रूपये में)
01-वेतन	12,00,000.00
03-मंहगाई भत्ता	16,32,000.00
04-यात्रा व्यय	80,000.00
06-अन्य भत्ते	3,60,000.00
07-मानदेय	40,000.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

08-कार्यालय व्यय	1,50,000.00
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	75,000.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	75,000.00
13-टेलीफोन पर व्यय	60,000.00
14-मोटर गाड़ियों का क्रय	1,000.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	10,00,000.00
18-प्रकाशन	8,00,000.00
42-अन्य व्यय	3,00,000.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	40,000.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2,00,000.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	3,00,000.00
49-चिकित्सा व्यय	2,00,000.00
योग-	65,13,000.00

(रू0 पैंसठ लाख तेरह हजार मात्र)

2- उक्त स्वीकृति पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-आयोजनागत-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0109-सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान (के.100/रा.0-के.) की सुसंगत इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या–1/2016/बी-1/746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दीनानाथ)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ.संख्या-3/2016/386(1)/क.नि.प्र./26-3-16 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2-महालेखाकार, लेखा परीक्षा(प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश ,इलाहाबाद।

3-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4-अनुभाग अधिकारी, लेखा, समाज कल्याण विभाग, उ.प्र.शासन।

5-बजट प्रकोष्ठ,समाज कल्याण, उ.प्र. शासन।

6-वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-3, उ.प्र. शासन।

7-सांख्यकीय निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।

8-एन.आई.सी. की प्रति।

9-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दीनानाथ)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।